इन्दिरा आवास योजना

उद्देश्य

- इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बी0पी0एल0परिवारो को आवास उपलब्ध करवाना है जिसमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों, मुक्त बंधुआ मजदूरों को सहायता प्रदान करना है । योजना के अर्न्तगत इन्दिरा आवास आबंटन में से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति /जनजाति परिवारो को ,15प्रतिशत अल्पसंख्यक तथा शेष सामान्य जाति के परिवारो का लाभान्वित करना है ।

पात्रता

- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बी0पी0एल0परिवारो को आवास उपलब्ध करवाना है, पात्रता में सर्वप्रथम उन्हें स्थान मिलेगा जो पूर्णतया आवास विहीन है, फिर वे परिवार जिनके पास झोपड़ी है, इसके पश्चात ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची दीवारें है और छप्पर/खपरैल है, तदोपरान्त कच्चे आवास वालों को स्थान मिलेगा ।

प्रक्रिया

- बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के अर्न्तगत चिन्हित आवासविहीन , कच्चे आवास, अर्द्ध पक्के परिवारों को लाभान्वित करने हेतु कट–आफ–स्कोर की प्रकिया अपनायी गयी है ।
- सर्वप्रथम न्यूनतम कट–आफ–स्कोर के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है ।

देय सुविधायें

- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1–4–2008 से पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू0 38500.00 प्रतिआवास तथा मैदानी क्षेत्र हेतु रू0 35000.00 दिये जाने का प्राविधान है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के शौचालय एवं धुम्र रहित चूल्हा हेतु रू0 3500.00 एवं मैदानी क्षेत्र के शौचालय एवं धुम्र रहित चूल्हा हेतु रू0 3000.00 सम्मिलित हैं ।

कार्यक्षेत्र

- उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र ।

आवेदन कहाँ करें

- विकास खण्ड कार्यालय में ।

अभ्युक्ति

- चिन्हित बी0पी0एल0 परिवारों को लाभान्वित किया जाना है ।

विस्तृत जानकारी हेतु विकास खण्डों कार्यालयों/जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से सम्पर्क किया जा सकता है ।

क्रेडिट कम सब्सिडी

उद्देश्य

- राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से उपर रू0 32000 वार्षिक आय तक के आवास विहीन परिवारों को आवासीय सुविधा कराने हेतु कार्यक्रम के आच्छादन को बढ़ा/विस्तारित कर आवास विहीनता को दूर कर लक्षित ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ व सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाना है । इस मुख्य उद्देश्य के अनुसांगी परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में ऋृण प्रवाह में बढ़ोत्तरी एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में उत्प्रेरण भी है ।

पात्रता

- योजनान्तर्गत समस्त अनु0जाति/अनु0जनजाति के बी0पी0एल0 आवासहीन परिवार(स्त्री/पुरूष) ।
- गैर अनु0जाति/अनु0जनजाति के बी0पी0एल0 आवासहीन परिवार(स्त्री/पुरूष) ।
- गरीबी रेखा से उपर रू0 32000.00 तक वार्षिक आय वर्ग के आवासहीन परिवार(स्त्री/पुरूष) ।
- ऐसे लाभार्थियों (स्त्री/पुरूष) की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो तथा किसी भी बैंक/वित्त पोषित संस्था का बकायादार न हो ।

प्रकिया

- लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा, चयनित लाभार्थियों की सूची खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी वे शत–प्रतिशत जॉच करने के उपरान्त बैंकों को प्रेषित करते हैं ।
- बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त डी0आर0डी0ए0 द्वारा अनुदान की धनराशि बैंकों को अवमुक्त की जाती है ।

देय सुविधायें

- ऋृण–सह–अनुदान आवासीय योजना के अन्तर्गत रू0 32000.00 तक की वार्षिक आय वाले समस्त ग्रामीण परिवार जो आवास विहीन हो अथवा जिनके पास कच्चा, अर्द्धकच्चा व अर्ध विकसित आवास हो को दिया जायेगा ।

कार्यक्षेत्र

- उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र ।

आवेदन कहाँ करें

- विकास खण्ड कार्यालय में ।

अभ्युक्ति

- गरीबी की रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से उपर रू0 32000 वार्षिक आय तक के आवास विहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना ।

विस्तृत जानकारी हेतु विकास खण्डों कार्यालयों/बैंक शाखाओं/जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से सम्पर्क किया जा सकता है ।

धन्यवाद